सं.1:05:2:(2):I दिनांक: 17.04.2025

श्री प्रसन्ना तंत्री, कार्यालय # 8127, एसी 8, लेवल 1, मुख्य भवन, इंडियन स्कूल ऑफ बिजनेस कैंपस, इंफोसिस के सामने, वित्तीय जिला, गाचीबोवली, हैदराबाद – 500111

विषय: पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड के स्वतंत्र निदेशक के रूप में नियुक्ति पत्र

महोदय,

विद्युत मंत्रालय ने अपने एफ.सं.46/2/2010-आरई(वॉल्यूम III)(भाग-4)(भाग-1) दिनांक 17.04.2025 के माध्यम से पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन लिमिटेड (पीएफसी) के बोर्ड में अंशकालिक गैर-सरकारी निदेशक के रूप में आपकी नियुक्ति/पुनर्नियुक्ति की सूचना दी है, जो 17.04.2025 से प्रभावी होगी।

हम 17.04.2025 से प्रभावी गैर-आधिकारिक स्वतंत्र निदेशक के रूप में पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड (पीएफसी) के बोर्ड में आपकी नियुक्ति पर आपका हार्दिक स्वागत करते हैं।

इस नियुक्ति पत्र में कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रावधानों के अनुसार आपकी नियुक्ति से संबंधित नियम व शर्तें निर्धारित की गई हैं। आपकी नियुक्ति शेयरधारकों के अनुमोदन के अधीन है।

1. नियुक्ति:

1.1 पीएफसी के बोर्ड में गैर-आधिकारिक स्वतंत्र निदेशक के रूप में आपकी नियुक्ति विद्युत मंत्रालय के आदेश संख्या एफ.सं. 46/2/2010-आरई(वॉल्यूम III)(भाग-4)(भाग-I), दिनांक 17.04.2025 के अनुसार है।

स्वतंत्र निदेशक शब्द की व्याख्या कंपनी अधिनियम, 2013 और सेबी लिस्टिंग विनियमों, समय-समय पर संशोधित कॉर्पोरेट प्रशासन पर डीपीई दिशानिर्देशों के तहत परिभाषित अनुसार की जानी चाहिए।

1.2 बोर्ड ने वैधानिक विनियमों और दिशा-निर्देशों के तहत आवश्यक बोर्ड स्तरीय समितियों का भी गठन किया है और निर्णय लेने की प्रक्रिया के सुचारू और कुशल प्रवाह को सुविधाजनक बनाने के लिए। आपको किसी भी उक्त समिति या निदेशक मंडल द्वारा समय-समय पर गठित किसी अन्य समिति(यों) में अध्यक्ष/सदस्य के रूप में सेवा करने के लिए नियुक्त किया जा सकता है। ऐसी समिति(यों) में आपकी नियुक्ति लागू कानून के अधीन होगी।

2. कार्य, उत्तरदायित्व एवं कर्त्तव्य

2.1. आपकी भूमिका, कार्य और कर्तव्य वे होंगे जो कंपनी अधिनियम, 2013 के लागू प्रावधानों और उसके तहत बनाए गए नियमों और समय-समय पर संशोधित सेबी (लिस्टिंग दायित्वों और प्रकटीकरण आवश्यकताओं) विनियम एलओडीआर [सेबी एलओडीआर] के तहत एक स्वतंत्र निदेशक के लिए आवश्यक हैं। आपके तत्काल संदर्भ के लिए कंपनी अधिनियम की अनुसूची IV के साथ धारा 149(8) के तहत जारी स्वतंत्र निदेशकों के लिए कोड की एक प्रति अनुलग्नक क के रूप में संलग्न है।

इसके अलावा, कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 166 के अनुसार, आप:

- ं. कंपनी के एसोसिएशन ऑफ आर्टिकल्स के अनुसार कार्य करें।
- समग्र रूप से अपने सदस्यों के लाभ के लिए, और कंपनी, उसके कर्मचारियों, शेयरधारकों, समुदाय और पर्यावरण की सुरक्षा के सर्वोत्तम हित में कंपनी के उद्देश्यों को बढ़ावा देने के लिए सद्भावना से कार्य करें।
- iii. उचित और उचित देखभाल, कौशल और परिश्रम के साथ अपने कर्तव्यों का पालन करें और स्वतंत्र निर्णय लें।
- iv. स्वयं को ऐसी स्थिति में शामिल न करें जिसमें आपका प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष हित कंपनी के हित के साथ टकराव करता हो या संभवतः टकराव कर सकता हो।
- v. स्वयं अथवा अपने रिश्तेदारों, साझेदारों अथवा सहयोगियों को कोई अनुचित लाभ या फायदा प्राप्त न करें अथवा प्राप्त करने का प्रयास न करें।
- vi. निदेशक के रूप में अपना पदभार नहीं सौंपेंगे और इस प्रकार किया गया कोई भी कार्यभार अमान्य होगा।

3. पारिश्रमिक एवं व्यय की प्रतिपूर्ति

- 3.1 आपको बोर्ड और उसकी समितियों की बैठकों में भाग लेने के लिए बैठने की फीस के रूप में ऐसा पारिश्रमिक दिया जाएगा, जैसा कि बोर्ड द्वारा समय-समय पर लागू कानून के अनुपालन में तय किया जा सकता है।
- 3.2 वर्तमान में स्वतंत्र निदेशकों को बोर्ड या उसकी किसी समिति की प्रत्येक बैठक के लिए क्रमशः ₹40,000/- और ₹30,000/- का शुल्क दिया जाता है।
- 3.3 बैठक शुल्क के भुगतान के अतिरिक्त, आप बोर्ड और सिमिति की बैठकों में भाग लेने के लिए बोर्डिंग, आवास और यात्रा व्यय के लिए पात्र होंगे, जो कि कंपनी के पूर्णकालिक निदेशकों के लिए लागू मौजूदा प्रावधानों के अनुसार लागू हैं।

4. हितों का टकराव:

4.1 यह स्वीकार किया जाता है कि आपके पास कंपनी के अलावा अन्य व्यावसायिक हित भी हो सकते हैं। आपकी नियुक्ति की शुरुआत से पहले एक शर्त के रूप में, आपने कंपनी को बोर्ड के समक्ष निदेशक पद, नियुक्तियाँ और हितों की घोषणा की है। इसके बाद, जब भी परिस्थितियों में कोई बदलाव होता है जो एक स्वतंत्र निदेशक के रूप में आपकी स्थिति को प्रभावित कर सकता है, तो आपको कंपनी को इसकी घोषणा करनी होगी।

4.2 बोर्ड की पहली बैठक में, जिसमें आप स्वतंत्र निदेशक के रूप में भाग लेते हैं और उसके बाद प्रत्येक वित्तीय वर्ष में बोर्ड की पहली बैठक में या जब भी परिस्थितियों में कोई परिवर्तन होता है, जो स्वतंत्र निदेशक के रूप में आपकी स्थिति को प्रभावित कर सकता है, तो आपसे यह घोषणा करने की अपेक्षा की जाती है कि आप स्वतंत्रता के मानदंडों को पूरा करते हैं।

5. पदच्यति

- 5.1 आप किसी भी समय अपने पद से इस्तीफा दे सकते हैं और यदि आप ऐसा करना चाहते हैं तो आपसे अनुरोध है कि इस्तीफे का कारण बताते हुए विद्युत मंत्रालय और बोर्ड को उचित लिखित नोटिस दें।
- 5.2 आपकी नियुक्ति का जारी रहना एक स्वतंत्र निदेशक के रूप में बने रहने की आपकी इच्छा और लागू कानून के अनुसार शेयरधारकों द्वारा आपको पुनः नियुक्त किये जाने पर निर्भर है।

6. गोपनीयता:

- 6.1 स्वतंत्र निदेशक के रूप में आपकी नियुक्ति और कार्यकाल के दौरान कंपनी से संबंधित प्राप्त सभी जानकारी गोपनीय है और इसे तीसरे पक्ष को तब तक नहीं बताया जाना चाहिए जब तक कि कानून द्वारा अपेक्षित न हो।
- 6.2 निदेशक के रूप में, आप अधिनियम और भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड ("सेबी") द्वारा जारी विनियमों के तहत निर्धारित इनसाइडर ट्रेडिंग और अप्रकाशित मूल्य संवेदनशील जानकारी के प्रकटीकरण के विरुद्ध निषेध और प्रतिबंधों के अधीन और बाध्य हैं। आपको सेबी (इनसाइडर ट्रेडिंग का निषेध) विनियम, 2015 (जैसा कि समय-समय पर संशोधित या प्रतिस्थापित किया गया है) के अनुसार पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड की प्रतिभूतियों में ट्रेडिंग के विनियमन, निगरानी और रिपोर्टिंग के लिए अप्रकाशित मूल्य संवेदनशील जानकारी और आचरण के निष्पक्ष प्रकटीकरण के लिए आंतरिक आचार संहिता और प्रक्रियाओं का सख्ती से पालन करना होगा।

7. दायित्व:

7.1 लागू कानून के अधीन, अपने कर्तव्यों के किसी भी उल्लंघन के लिए आप लागू कानून के तहत निर्धारित परिणामों के लिए उत्तरदायी होंगे और कंपनी के संबंध में, आप कंपनी द्वारा की गई चूक या कमीशन के ऐसे कार्यों के लिए उत्तरदायी होंगे जो आपके ज्ञान में हुए थे, बोर्ड प्रक्रियाओं के माध्यम से और आपकी सहमति या मिलीभगत से हुए थे, या जहां आपने परिश्रमपूर्वक कार्य नहीं किया था।

हालांकि, कंपनी निदेशकों और अधिकारियों की व्यक्तिगत देयता का भुगतान करने के लिए एक निदेशक और अधिकारी देयता बीमा पॉलिसी (डी एंड ओ पॉलिसी) बनाए रखती है, जो बोर्ड में और / या कंपनी के अधिकारी के रूप में सेवा करते समय उनके खिलाफ किए गए दावे के लिए होती है।

8. विविध:

- 8.1 आपकी नियुक्ति लागू कानून के तहत अधिकतम स्वीकार्य निदेशक पद के अधीन होगी, जिसमें अधिनियम और सेबी एलओडीआर के प्रावधान भी शामिल हैं।
- 8.2 आप कंपनी के कर्मचारी नहीं होंगे और यह पत्र रोजगार अनुबंध नहीं माना जाएगा।
- 8.3 आप सात से अधिक सूचीबद्ध संस्थाओं में स्वतंत्र निदेशक के रूप में कार्य नहीं करेंगे: बशर्ते कि यदि आप किसी सूचीबद्ध संस्था में पूर्णकालिक निदेशक के रूप में कार्य कर रहे हैं, तो आप तीन से अधिक सूचीबद्ध संस्थाओं में स्वतंत्र निदेशक के रूप में कार्य नहीं करेंगे।
- 8.4 आप दस से अधिक समितियों में सदस्य के रूप में कार्य नहीं करेंगे या उन सभी संस्थाओं में पाँच से अधिक समितियों के अध्यक्ष के रूप में कार्य नहीं करेंगे जिनमें आप निदेशक हैं, जिसका निर्धारण निम्नानुसार किया जाएगा:
 - (क) सभी सार्वजनिक लिमिटेड कंपनियों में, चाहे वे सूचीबद्ध हों या नहीं, किसी निदेशक द्वारा सेवा की जा सकने वाली समितियों की सीमा को शामिल किया जाएगा और निजी लिमिटेड कंपनियों, विदेशी कंपनियों और कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 8 के तहत कंपनियों सहित सभी अन्य कंपनियों को बाहर रखा जाएगा;
 - (ख) सीमा के निर्धारण के प्रयोजन के लिए केवल लेखापरीक्षा समिति और हितधारक संबंध समिति की अध्यक्षता और सदस्यता पर ही विचार किया जाएगा।

भवदीय, कृते पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन लिमिटेड

> (मनीष कुमार अग्रवाल) महाप्रबंधक एवं कंपनी सचिव

संलग्न: उपरोक्तानुसार